FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

लटूर **बनाम सोमोती आदि**

किस्म मुकदमा—नामान्तरण अपील नम्बर———23 —सन्— 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.10.2025	अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 11 से 28 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पों0 सं0 01 से 10 बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार दौसा ने दिनांक 16.10.2001 को ग्राम जौपाडा का विरासत नामान्तरण सं0 107 तस्दीक किया गया है। इस नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील श्रीमान न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने वाके ग्राम जौपाडा तह० दौसा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 851 से 853, 889, 880 कुल किता 5 कुल रकबा 1.28 है० व खाता संख्या 99 कुल रकबा 3.80 है० के खातेदार कन्हैया पुत्र पांचू की विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व सुनवाई व सबूत का अवसर नही दिया ना ही इस संबंध में कोई जांच की गई बिना जांच किये ही हरला उर्फ हरलाल के हक में नामान्तरकरण खोल दिया गया। जिनके नाम भौरीलाल, लटूर, कन्हैया के पांच पुत्र है रामजीलाल, हरला उर्फ हरलाल व रंगलाल है। कन्हैया के सगे भाई बरदु के कोई लडका नही था चार लडकिया थी किस कारण बरदु ने अपने जीवनकाल में कन्हैया के पुत्र हरला उर्फ हरलाल को बचपन में गोद लिया था। बरदु की खातेदारी भूमि बरदु का दत्तक पुत्र हरला उर्फ हरलाल काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। हरला उर्फ हरलाल के सभी दस्तावेजो में पिता का नाम बरदु है, लेकिन हरला उर्फ हरलाल ने चालाकी से कन्हैया पुत्र पांचू के फौत होने पर राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत करके कन्हैया पुत्र पांचू की विरासत का नामान्तरकरण 1/5 हिस्से में तथा शामलाती खाते मे 1/25 हिस्से में हरला पुत्र कन्हैया के नाम से तस्दीक करवा लिया तथा बरदु की सम्पत्ति को भी अपने नाम हरलाल पुत्र बरदु करा लिया जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय ज़िला कलेक्टर महोदय दौसा के समक्ष अपील संख्या 15/2022 उनवानी भौरीलाल वगैरा बनाम सोमोती वगैरा० पेश की जिसमें माननीय न्याालय द्वारा दिनांक 1—6—23 को अपील को स्वीकार कर तहसीलदार दौसा को इस आशय से प्रकरण रिमाण्ड किया गया कि पक्षकारान को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें ज़िस पर तहसीलदार दौसा ने दिनांक 30—1—2024 को निर्णय पारित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 107 को [illegible] खारिज फरमा दी जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की जा रही [illegible] योग्य अधिनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30—1—2024 [illegible] तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। बरदु पुत्र पांचू के क[illegible]जाईन्दा पुत्र नही होकर केवल 4 पुत्रीयां ही थी इसलिए बरदु पुत्र पांचू जो कि कन्हैया का सगा भाई था, ने कन्हैया के पुत्र हरला उर्फ हरलाल को अपने जीवनकाल में ही गोद ले लिया था । गोद लेने के उपरान्त हरला उर्फ हरलाल बरदु पुत्र पांचू के पास बतौर पुत्र रहता था तथा उसकी देखरेख करता था। बरदु पुत्र पांचू की मृत्यु	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:46:05 IST
Reason: SelfAttested

के उपरान्त उसके सारे क्रिया कर्म हरला उर्फ हरलाल ने ही किये थे तथा उसकी पगडी भी हरला उर्फ हरलाल के ही बंधी है । हरला उर्फ हरलाल बरदु पुत्र पांचू का गोद पुत्र है तथा बरदु के हिस्से की भूमि का भी हरला उर्फ हरलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। बरदु की पुत्रीयो द्वारा एक हक त्याग दिनांक 18–4–2016 को उपपंजीयक दौसा के यहां हरला उर्फ हरलाल के पक्ष में पंजीयन कराया है जिसमें अकित शजरे में भी हरला उर्फ हरलाल को बरदु का पुत्र होना दार्शाया गया है जो सभी तथ्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बखूबी प्रमाणित किये गये किन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यो की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। हरला उर्फ हरलाल बरदु पुत्र पांचू का गोदपुत्र है तथा बरदु पुत्र पांचू के हिस्से की भूमि पर काबिज है व बतौर खातेदार दर्ज है। हरला उर्फ हरलाल दोनो एक ही व्यक्ति है किन्तु हरला उर्फ हरलाल एक चालाक एवम धूर्त किस्म का व्यक्ति है जिसने चालाकी से कन्हैया की सम्पत्ति में हरला पुत्र कन्हैया व शामलाती खाते में बरदु की सम्पत्ति में हरलाल पुत्र बरदु व कन्हैया की सम्पत्ति में हरला पुत्र कन्हैया अंकित करवा लिया। एक जगह तो हरला पुत्र कन्हैया व एक शामलाती खाते में हरलाल पुत्र बरदु अंकित करा रखा है। ग्राम जौपाडा में आराजी खसरा नम्बर 851 से 853, 879, 880 कुल किता 5 कुल रकबा 1.28 है० भूमि जिसकी खातेदारी साबिक में कन्हैया पुत्र पांचू के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। कन्हैया पुत्र पांचू के फौत होने पर हरला उर्फ हरलाल जो कि कि एक एक ही व्यक्ति है ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत करके कन्हैया पुत्र पांचू जो कि अपीलांट का पिता था, के स्वर्गवास होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण हिस्सा 1/5 हरला पुत्र कन्हैया के नाम से तस्दीक करवा लिया व 1/5 हिस्से की खातेदारी दर्ज करवा ली एवम शामलाती खाता संख्या 99 कुल रकबा 3.80 है० में भी कन्हैया पुत्र पांचू के हिस्सा 1/5 का दर हिस्सा 1/25 हिस्से का भी नामान्तरकरण हरला पुत्र कन्हैया तथा बरदु के नाम की जमीन भी हरलाल पुत्र बरदु राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर लिया। कानूनन यदि कोई व्यक्ति गोद चला जाता है तो उसका प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार नही रह जाता है तहसीलदार दौसा ने कन्हैया की विरासत का नामान्तरकण तस्दीक करने से पूर्व न तो अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत का अवसर दिया और ना ही इस संबंध में कोई जांच की एवम चुपचाप में ही दिनांक 16–10–2001 को नामान्तरकरण संख्या 107 विरासत का कन्हैया का तस्दीक कर दिया जिसकी जानकारी अपीलांट को नही हुई क्योकि उक्त भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा चला आ रहा है हरला उर्फ हरलाल का कभी भी कब्जा नही रहा है जो तथ्य अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट द्वारा बखूबी साबित किये गये किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यो की अनदेखी कर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। हरला उर्फ हरलाल पुत्र बरदु की दिनांक 20–3–22 को मृत्यु हो गई है जिसके पश्चात बरदु की सम्पत्ति आई थी उसमें हरला उर्फ हरलाल के वारिसानो के नाम विरासत का [illegible] है किन्तु कन्हैया के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तरक[illegible] हरला उर्फ हरला ने षडयंत्र रचकर खुलवाया था उसमें ह[illegible] सभी विरासत का नामान्तरकरण नही खुला [illegible] साक्ष्य में सुरजन पुत्र देपा नाथ निवासी जौपाडा एवम भोमाराम पुत्र क[illegible] जाति खारवाल निवासी जौपाडा ने शपथ पत्र पेश कर बयान किया कि शपथकर्ता कन्हैया बरदु पिसरान पांचू जोगी निवासी जौपाडा के परिवार को भली प्रकार जानते है क्योकि शपथकर्ता इनके पडौसी है। कन्हैया जोगी के पांच पुत्र है जिनके नाम भौरीलाल, लटूर, रामजीलाल, हरला उर्फ हरलाल व रंगलाल है। कन्हैया के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:46:05 IST
Reason: SelfAttested

सगे भाई बरदु के कोई लडका नही था केवल चार लडकियां थी इस कारण बरदु ने उसके जीवनकाल में कन्हैया के पुत्र हरला उर्फ हरलाल को बचपन में ही गोद ले लिया था उसकी शादी विवाह बरदु ने ही की थी। इस प्रकार हरला उर्फ हरलाल बरदु का गोद पुत्र था बरदू की मृत्यु के पश्चात उसके समस्त धार्मिक क्रिया कर्म हरला उर्फ हरलाल ने ही किये थे तथा उसकी पगडी भी हरला उर्फ हरलाल के ही बंधी थी । कन्हैया की सम्पत्ति खातेदारी भूमि कन्हैया के चार पुत्र भौरीलाल, लटूर, रामजीलाल व रंगलाल काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। बरदु की खातेदारी भूमि पर बरदु का दत्तक पुत्र हरला उर्फ हरलाल काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यो की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अधिनस्थ न्यायालय में हरला उर्फ हरलाल केदस्तावेजात राशन कार्ड आधार कार्ड वोटर आई डी आदि पेश किये थे जिनमें हरला उर्फ हरलाल के पिता का नाम बरदु अंकित है। हरला उर्फ हरलाल की मृत्यु हो गई है उसका मृत्यु प्रमाण भी पेश किया है उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पिता का नाम बरदू अंकित है इन सभी दस्तावेजो को पेश करने के बाद भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया बल्कि अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि हरलाल पुत्र बरदू एवम हरलाल पुत्र कन्हैया एक ही व्यक्ति है इस संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नही किये जिससे यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेजो का अवलोकन न कर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर न तो कोई जांच की न ही अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया और सरासर गलत तरीके से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य सबूत का अवलोकन किये बगैर ही निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। भौरीलाल व रामजीलाल माननीय न्यायालय में पूर्व में प्रस्तुत की गई अपील में बतौर अपीलांट पक्षकार मौजूद थे किन्तु उनका देहान्त हो गया है जिनके वारिसानो को प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया गया है। न्यायालय को अपील का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–1–2024 को निरस्त फरमाते हुए नामान्तरकरण संख्या 107 दिनांक 16–10–2001 वाके ग्राम जौपाडा तह० दौसा को निरस्त फरमाने की कृपा करें तथा कन्हैया पुत्र पांचू की विरासत नामान्तरकरण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लाo 28 के हक मे खोले जाने के आदेश फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष नामान्तरण अपील सं0 15/2022 उनवानी भौंरीलाल वगै0 बनाम सोमोती वगै0 प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 1.6.2023 को निर्णय पारित कर प्रकरण तहसीलदार दौसा को रिमांड किया गया था। तहसीलदार दौसा के उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया गया जिसमें पक्षकारान तहसीलदार दौसा के समक्ष उपस्थित हुए है। तहसीलदार दौसा द्वारा प्रकरण सं0 12/2023 में दिनांक 30.1.2024 को पारित किया गया है जो कि निर्णय एवं डिक्री की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरुद्ध अपील राजस्थान रेवेन्यू एक्ट की धारा 135 (2) के तहत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग, जयपुर को पोषणीय है। माननीय न्यायालय को उक्त अपील सुनने का कानूनन क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त अपील का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होने से अपील निरस्त फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:46:05 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 11 से 28 ने उक्त विचाराधीन अपील को सक्षम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.6.2023 उनवानी भौरीलाल वगै0 बनाम सोमोती वगै0 में पारित निर्णय का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण सं0 107 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार दौसा को इस आशय से रिमांड किया गया है कि अपीलांट्स द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं गोदनामा व हक त्याग को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तदुपरांत तहसीलदार दौसा के द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान की तलबी की गई जिसमें पक्षकारान उपस्थित आये। हम राजकीय अधिवक्ता के इस कथन से पूर्णतया सहमत है कि तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय/आदेश विवादित एवं कन्टेस्टेड की निर्णय की श्रेणी में आने के कारण विचाराधीन अपील अंतर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम 1956 अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने के कारण हम उक्त विचाराधीन अपील को माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर को स्थानान्तरित किया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर विचाराधीन अपील अंतर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम 1956 अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर को हस्तान्तरित की जाती है। पक्षकारान नियत दिनांक 4.11.2025 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:46:05 IST
Reason: SelfAttested